

अधिसंचार

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुये श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्, समूह 'क' और 'ख' सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड, राजस्व परिषद, अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन)
एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन) सेवा नियमावली, 2022

भाग एक—सामाज्य

संक्षिप्त नाम 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्, अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन) सेवा नियमावली, 2022 है।

(2) यह तरन्त प्रवत होगी।

सेवा की 2 प्रास्थिति राजस्व परिषद सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह “क” और “ख” के पद समाविष्ट हैं।

परिमाणये 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, उस नियमावली में:-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अनुभाग अधिकारी के पद के संबंध में "आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्" और सेवा में अन्य पदों के सम्बन्ध में "अध्यक्ष, राजस्व परिषद्" उत्तराखण्ड अभिप्रेत है.

(क्ष) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, अभिप्रेत है।

(ग) ‘सेवा का सदस्य’ से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन रथाई रूप से / मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(घ) "अध्यक्ष" से अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड से अभिप्रेत हैं।

(अ) “राजस्व परिषद्” से राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड अभिप्रेत है

(च) “आयुक्त एवं सचिव” से आयुक्त एवं सचिव, राजरव परिषद्, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(४)

“सरकार” से उत्तराखण्ड राज्य का सरकार अभिप्रेत है।

1/88959/2023

(ज) “राज्यपाल” से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।

(झ) “सेवा” से राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड सेवा अभिप्रेत है,

(अ) “मौलिक नियुक्ति” से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ट) “भर्ती का वर्ष” से कैलेण्डर वर्ष के पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

(ठ) “संविधान” से भारत का संविधान अभिप्रेत है।

भाग दो— संवर्ग

- सेवा का 4.** (१) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय—समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।
- (२) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (१) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट—१ में दी गयी है:

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

या

(दो) राज्यपाल ऐसे रथाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन— भर्ती

- भर्ती का 5.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात्—
- (एक) अनुभाग अधिकारी राजस्व परिषद सेवा संवर्ग में कार्यरत स्थायी समीक्षा अधिकारियों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा

(दा)

सहायक राजस्व आयुक्त (प्र०) राजस्व परिषद सेवा संवर्ग में कार्यरत स्थायी अनुभाग अधिकारियों से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा

(तीन)

उप राजस्व आयुक्त (प्र०) राजस्व परिषद सेवा संवर्ग में कार्यरत स्थायी सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा

आरक्षण

8.

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रोन्नति के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार— अहंता

अहंता

7. (1)

सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अहंताएं होनी चाहिए:—

क अनुभाग अधिकारी—

मौलिक रूप से नियुक्त स्थायी समीक्षा अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को समीक्षा अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्षों की सेवा (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:—

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसे स्थायी समीक्षा अधिकारियों को जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पाँच वर्षों की सेवा जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, की हो, समिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

ख

सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन)

मौलिक रूप से नियुक्त स्थायी अनुभाग अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अनुभाग अधिकारी के रूप में कम से कम पाँच वर्षों की सेवा (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) की हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

ग

उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन)

मौलिक रूप से नियुक्त स्थायी सहायक राजस्व आयुक्त (प्र०) में से जिन्होंने सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) के रूप में कम से कम पाँच वर्षों की सेवा (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के

- (2) यदि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को पात्रता के क्षेत्र में समिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी, इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने अपेक्षित सेवा अवधि पूरी नहीं की है, पात्रता के क्षेत्र में समिलित किया जायेगा।

भाग पांच— भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण	8.	नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम-6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।
अनुभाग अधिकारी के पद पर भर्ती की प्रक्रिया	9.	अनुभाग अधिकारी के पद पर भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्ति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 समय—समय पर यथा संशोधित के अनुसार की जायेगी।
सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन)	10. (1)	सहायक राजस्व आयुक्त एवं उप राजस्व आयुक्त के पदों पर पदोन्ति द्वारा भर्ती “उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग से बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्ति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 समय समय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्ति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 एवं तक़म में (समय—समय पर यथा संशोधित) के उपबन्धों के अनुसार गठित विभागीय चयन समिति के माध्यम से दिये गये मानदण्ड के अनुसार की जायेगी।
	(2)	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ विभागीय चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायें।
	(3)	चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।
	(4)	चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

- नियुक्ति** 11. मौलिक रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 9 या 10 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों।
- परिवीक्षा** 12. (1) प्रत्येक व्यक्ति को —
- अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) या उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन) के पद की मौलिक रिवित में एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा, और
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाये।
- परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि छ: मास से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।
- (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
- (4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
- स्थायीकरण** 13. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि —
- (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया है;
- (ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; और

ज्येष्ठता 14. (1) एतदपश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं:

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा;

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या विभागीय चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय ;

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

भाग सात :-वेतन इत्यादि

वेतनमान 15. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट-1 में दिये गये हैं।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 16. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन सिफारिश से भिन्न सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, बिचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर

से अपनी अभ्याधिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनहूं कर देगा।

अन्य विषयों 17.

का

विनियमन

ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की

शर्तों में

शिथिलता

18.

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृति

19.

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे अन्य विधायिकाओं पर नहीं पड़ेगा, जिसका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(सचिन कुमार)
सचिव

I/88959/2023

I/88959/2023

परिशिष्ट-1

{नियम 4 (2) और 13 (2) देखिए}

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (₹० में)	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स
				वेतनमान
1	2	3	5	7
1	अनुभाग अधिकारी	06	56100—177500	10
2	सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन)	01	67700—208700	11
3	उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन)	01	67700—208700	11

आज्ञा से,

Signed by Sachin
 Shrivardhan Kurva
 (सतीष कुरवा)
 Date: 05-01-2023 15:16:00
 साचिव